"बिजनेस पोस्ट के [illegible] शुल्क के नगद भुगतान (बिना [illegible] टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2011—वैशाख 23, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004) उप सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री प्रसन्ना आर. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. कमल प्रीत सिंह केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2011.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्रमांक 4091/बी-14-21/2003/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं धिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को, उक्त आदेश के अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट नों के लिए अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)	प्रयोजन (4)
1.	संचालक, कृषि	तत्संबंधी राज्य	कृषि फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना
2.	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	तत्संबंधी राज्य	उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना
3.	जिले के समस्त उप संचालक कृषि	तत्संबंधी जिला	कृषि फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना
.	जिले के समस्त उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान.	तत्संबंधी जिला-	उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना

No. 4091/B-14/21/2003/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (11) of Seed (control) Order, ssued under section-3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and in supersession of all us notifications issued in this regard, the State government hereby appoints the officer specified in column (2) in edule below as licensing Officer to exercise the powers within the jurisdiction as specified in column (3) and for pose as specified in column (4) of the said schedule under the said order, namely :—

SCHEDULE

.)	Officer (2)	Jurisdiction (3)	Purposes (4)
	Director of Agriculture	Respective State	Issuing of License for sale of Agriculture Crop Seeds.
	Director of Horticulture and farm forestry.	Respective State	Issuing of License for sale of Horticulture Crop Seeds.
	All Deputy Director of Agriculture of Districts.	Respective Districts	Issuing of License for sale of Agriculture Crop Seeds.
	All Deputy Director of Horticulture of Districts.	Respective Districts	Issuing of License for sale of Horticulture Crop Seeds.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभ

बिलासपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्रमांक 04/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में व
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभाव
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी सं
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयो का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पथरिया	खपरी	0.271	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लोहदा एनीकट त एवं पहुंच मार्ग नि

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्रमांक 05/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में व
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभाव
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी सं
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयो का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पथरिया	धमनी	0.372	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लोहदा एनीकट त एवं पहुंच मार्ग नि

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-स

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्रमांक/2899/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	महरूम प. ह. नं. 67	0.760	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना, जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	मोती नाला व्यपवर्तन की मुख्य नहर एवं पतोरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्रमांक/2900/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	भदेरानवागांव प. ह. नं. 08	0.56	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, राजनांदगांव.	गोपालपुर से भदेरा-नवागांव सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्रमांक/2901/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	गोपालपुर प. ह. नं. 08	0.87	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, राजनांदगांव.	गोपालपुर से भदेरा-नवागांव सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्रमांक/2902/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोखला प. ह. नं. 38	0.90	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	शिवनाथ व्यपवर्तन के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-3 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खा (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकत पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसवे द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिका को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (आर.ए. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	खण्डवा प. ह. नं. 13	1004	0.01	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ.ग.	सिमगा वितरक नहर के निर्माण हेतु.
			1005	0.32		
			1006	0.09		
			1008	0.13		
			1009	0.18		
			1011	0.24		
			1015	0.04		
			1025	0.02		
			1064	0.07		
			1018	0.07		
			1063	0.05		
			1127	0.01		
			1210/1	0.11		
			1016	0.02		
			1017	0.15		
			1024	0.07		
			1062	0.13		
			1061	0.03		
			1014	0.14		
			1065	0.07		
			1132	0.06		
			1130	0.05		
			1066	0.06		
			1131	0.02		
			1129	0.03		
			1124	0.03		
			1121	0.11		
			611	0.03		
			1118	0.08		
			1122	0.10		
			1123	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			600	0.16		
			625	0.11		
			601	0.07		
			606	0.02		
			1120	0.03		
			1178	0.19		
			1215	0.23		
			1270	0.08		
			1169	0.03		
			1177	0.01		
			1208	0.01		
			1209	0.09		
			1213	0.06		
			1214	0.15		
			1267	0.01		
			1275	0.01		
			1268	0.12		
			1269	0.02		
			1272	0.12		
			1265	0.01		
			1271	0.10		
			624	0.02		
			574	0.04		
			576	0.02		
			605	0.03		
			598	0.33		
			575	0.08		
			555	0.11		
			553/2	0.11		
			573	0.02		
			518	0.13		
			604	0.02		
			603	0.01		
			553/1	0.22		
			599	0.02		
			1125	0.02		
			1019	0.11		
			1262/2	0.03		
			1262/4	0.08		
			1262/1	0.11		
			2162/3	0.07		
			1262/5	0.13		
		योग	**73**	**5.96**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./21/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-बेमता, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.364 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	328/2	0.121
	328/3	0.182
	327/1	0.061
योग	3	0.364

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-भूमिया वितरक नहर के बेमता टेल माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसमेंट सं. क्र.-3 तिल्दा, जिला रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/5 अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहभट्ठा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.872 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/37	0.624
380/7	0.636
299/1	0.867
45/61	0.762
45/47	0.680
190/1	0.041
252/2	0.032
189	0.101
78	0.004
302/1	1.354
45/3, 55/2	0.004
45/20	0.004
45/22, 45/5	0.024
188	0.182
239	0.049
240	0.105
241/1	0.446
241/2	0.121
243	0.223
244/1	0.121
245	0.016
246	0.004
380/41	0.502
247/1 ख	0.017
380/45	0.502
249	0.365
252/4	0.324
302/8	0.275
380/2	1.069
250	0.247
380/13	0.482
380/17	0.470
380/75	0.223
380/10	0.668
380/11	1.555
302/28	1.230

(1)	(2)
380/14	0.275
45/2, 55/4, 65/1	0.009
302/21, 302/11, 302/48	1.313
380/106	0.502
45/53 ग	0.089
45/61 ग	0.194
247/1 घ	0.121
247/1 ङ	0.040
योग 44	16.872

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मर्राकोनी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदीकलाटोना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2101	0.75
2102/1	0.24
योग 2	0.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1). भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुली.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.38 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
28	2.49
29	0.40
30	2.05
35/1	0.02
35/2	0.18
35/3	0.18
42/1	0.56
42/3	0.90
43/1 ख	0.60

(1)	(2)
43/1 ड़	0.30
42/2	0.60
43/1 ख	1.10
43/1	1.00
योग 13	10.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आनंद सागर जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-जेवरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1098/2, 1099/2, 1100/2	0.43
1090/1, 1092/1, 1093/1, 1097/1	0.32
1086, 1087	0.10
1100/1	0.10
1090/4, 1092/4, 1093/4, 1097/4	0.10
1090/2, 1092/2, 1093/2, 1097/2	0.10
1084/3	0.13
1097, 1088	0.05
1077/2, 1078	0.10
1120/1 ग	0.09
1120/1 ङ	0.09
1120/1 ज	0.17
योग 26	2.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जेवरा जलाशय योजना दायीं मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-बरमकेला
(ग) नगर/ग्राम-परसरामपुर, प. ह. नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.963 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.085
50/1	0.066
265	0.069
261/2	0.020
222/2	0.059

(1)	(2)	(1)	(2)
216	0.036	52/3	0.016
12	0.081	218/2	0.032
224	0.012	51/1 क	0.016
223	0.044	262/2 ख	0.016
221	0.010	219	0.150
13	0.150	217/1 क	0.024
68/2	0.121	51/1 ख	0.012
68/4 ख	0.012	264/1	0.056
49/1	0.056	263/1	0.026
68/4 क	0.012	225	0.028
67/1	0.018	263/2	0.026
222/1	0.006	262/2 क	0.016
68/3	0.020	261/1	0.077
51/2 ग	0.020	260	0.006
68/1	0.004	233/2	0.044
66/3	0.053	233/1	0.069
58	0.065		
57	0.030	योग 48	1.963
217/2	0.073		
51/2 क	0.008		
51/2 ख	0.004		
266	0.026		
262/1	0.010		
56	0.012		
49/2	0.028		
49/3	0.018		
50/2	0.121		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सूरजगढ़ नदीगांव मार्ग के किमी. 1/2 पर निर्माणाधीन महानदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2011

नगर विकास स्कीम के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक 2713/यो.शा./विप्रा/11.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन "गंज मंडी क्षेत्र विकास योजना" के लिए नगर विकास स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

1. रायपुर विकास प्राधिकरण, बजरंग होटल के पास, शास्त्री चौक, रायपुर
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिश: सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा.

No. 2713/यो.शा./विप्रा/11.—Notice is hereby given that a Draft of Town Development Scheme has been prepared for the area "Ganj Mandi Area Development Scheme" under sub-section (3) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection during office hours in the office of :—

1. Raipur Development Authority, Near Bajarang Hotel, Shastri Chowk, Raipur.
2. Joint Director, Town & Country Planning Raipur

Any objection or suggestion which may be received in writing from any person affected thereby within 30 days of the publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette" will be considered by the Town and Country Development Authority after having been given him as reporting of being heard in person if he so desires.

सुनील सोनी,
अध्यक्ष.

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड
बीज भवन, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्रमांक-बी-8/भार. अधि./32/2011-12/514.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बोर्ड/बी-8/भार. अधि./10-11/7717-18, रायपुर दिनांक 21-01-2011 द्वारा श्री. फूल सिंह नेताम, अपर कलेक्टर, जगदलपुर को कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर के पत्र क्रमांक बी-1-14/2010/एक/4 रायपुर दिनांक 26 अप्रैल 2010 द्वारा श्री फूल सिंह नेताम, अपर कलेक्टर, जगदलपुर का सेवानिवृत्ति सूचना जारी किया गया है, जिसके तहत श्री फूल सिंह नेताम, अपर कलेक्टर, जगदलपुर एवं भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति जगदलपुर दिनांक 30-04-2011 को सेवानिवृत्त होंगे.

अतः छ.ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त तक श्री नीलकंठ टेकाम, अपर कलेक्टर, जगदलपुर को कृषि उपज मण्डी समिति जगदलपुर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अनिल कुमार साहू,
प्रबंध संचालक.

न्यायालय, सक्षम अधिकारी सह. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5458 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	71/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	71/3	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	70/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	22/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	69/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	68	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	67	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	66/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	72/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	23/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	65/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	39	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	40	0.45
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	37/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	37/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	34/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	34/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	34/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	34/6	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	35	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	34/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	34/7	0.03
			योग	1.82

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5460 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2155/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2155/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2155/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2155/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2144	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2145	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2148/1 क	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2148/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2148/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2149	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2150/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2150/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2151	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2152/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2152/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2152/4	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/2 क	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/2 ख	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/2 ग	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1908	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1909	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1900	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1899/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1896/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1896/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1895/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1895/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1892	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1889	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1890	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1894	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1891	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1887	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1881	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1878	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1879/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1879/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1875/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1875/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1875/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1876/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1876/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1835	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1834	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1794/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1786/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1786/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1786/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1784	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1785	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1829	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1783/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1783/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1572/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1572/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1578	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1579	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1522/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1522/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1522/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1524/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1524/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1519/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1422/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1422/10	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1416/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1416/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1417/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1412/2	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1015/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1015/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1009/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1011/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1016, 1018/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1011/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1010/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1022/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1022/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1023/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1023/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	994/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	997	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	999	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1000	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	995/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	995/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	949/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	950	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	952/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	954/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	940/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	940/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	938/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	939/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	935	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	937	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	936	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	938/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	960/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1898/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1893/1, 1893/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1585/1 क, 1585/2 क	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1585/2 ख	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1580	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1581	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1583/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1583/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1521/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1001/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	994/1, 1026/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1026/2, 1026/7	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	952/2	0.08
			योग	**5.93**

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5462 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1023	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1025/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1025/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1025/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1000/7	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1000/8	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	999	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	997	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	998	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	995/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	995/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	996/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	993	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1045/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1045/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1635	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1636/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1636/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1634	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1631/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1631/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1632	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1633/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1607/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1624/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1624/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1621	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1618	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1619	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1615	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1591	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1592	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1572	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1573	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1574/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/8	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/4	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/5	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1575	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1521	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1519	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1517	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1518	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1527	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1528	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1168	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1167/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1167/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1166	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1165	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1164/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1164/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1163	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1156	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1155	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1154	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1151	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1152	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1153/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1199	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1201/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1452	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1439/2, 1440/1, 1440/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1441	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1250/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1250/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1247/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1253/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1253/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1255	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1254	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1317	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1257	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1258	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1256/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1259	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1262	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1026/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1026/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1027	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1249	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1251/1	0.06
			योग	**3.91**

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5466 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	566/6	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	568/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	568/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	569	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	570	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	559/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	554, 552	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	555	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	550	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	549	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	610/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	610/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	610/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	611/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	546/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	612/1	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	614	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	611/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	619/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	622/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	629/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	629/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	634/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	635/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	648/1	0.30
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	648/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	649/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	578/1, 578/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	572	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	559/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	556/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	560/3, 560/4	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	618	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	622/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	633/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	628/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	636	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	640	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	645/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	645/2	0.08
			योग	3.25

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5464 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1849	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1843	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1842	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1837	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1839	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1838	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1822/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1823	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1824	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1826	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1799/1, 1799/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1799/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1796/1, 1798	0.24
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1795	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1794	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1790/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1790/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1789	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1768	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1769	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1770	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1771	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1731	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1730	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1728	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1727	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1726	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1707	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1708	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1691	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1692/1	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1692/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1692/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1670	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1671	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1480/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1462/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1480	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1482	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1489	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1452	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1487	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1830/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1830/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1828	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1788	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1672/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1672/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1667/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1667/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1669	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1483/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1483/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1491	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1490	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1467	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1284	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1283	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1451	0.05
			योग	4.28

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) की अधिसूचना क्रमांक 5468 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1944	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1945/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1945/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1945/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1941/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1941/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1943/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1939	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1940/1	0.21
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1940/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1940/3	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1728/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1728/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1725/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1727	0.42
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1726/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1724	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1723/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1723/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1722/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1720	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1721/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1718/2	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1718/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1716	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1717/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1717/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1718/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1715	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1714	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1713/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1708	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1709	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1710	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1707/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1707/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1707/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1706	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1711	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1725/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1719/2	0.07
			योग	**4.05**

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5470 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कें. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/36	0.47
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/41	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/35	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/34	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2329/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2331	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2322	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2335/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2377	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2376/8	0.33
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 c	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 d	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 e	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 f	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 g	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 h	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 i	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 j	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 k	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 l	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 m	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 n	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 o	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 p	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 q	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	813	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/4 a	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/7 a	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/8 a	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/10	0.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/12	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/13	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/14	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/15	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/16	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/17	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/18	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/19	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/20	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/21	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/22	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	863	0.38
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	867/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	956	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	954/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	954/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	955/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	955/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	955/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	934	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	932/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	932/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	932/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	877/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	877/3	0.04
			योग	**4.28**

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5472 दिनांक 24-10-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई हैं और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	5/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	5/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	6/1 क	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	6/1 ख	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	6/1 ग	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	6/1 घ	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	6/9	0.03
			योग	0.23

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5474 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	7	0.16
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	36	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	8/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	44/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	44/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	44/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	37	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	45	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	41	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	43	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	42	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	47	0.35
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	132	0.24
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/7	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/8	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/9	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/10	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/11	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/15	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	116/14	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/24 क	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/24 ख	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	128	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	32	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	46	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	113	0.02
			योग	2.05

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5476 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1340/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1333	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1332	0.21
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1331	0.13
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1330/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1329/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1328	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1310	0.43
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1311	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1308	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1355/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1360	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1307	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1304	0.16
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1303	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1302/2	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1302/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1302/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1301/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1301/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/9	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/10	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/12	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1291	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1290/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1290/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1240/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1241/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1241/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1242	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1243/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1241/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1276/1 ख	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1276/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1289	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1262/7	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1262/6	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1262/16	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/7	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/8	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1083/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1083/6	0.13
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1083/3	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1084/14	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1084/9	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1084/15	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1079/1	0.36
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1071	0.19
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1066/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1066/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1062/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1062/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1309	0.06
			योग	5.03

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5478 दिनांक 24-10-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	100/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	100/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	99/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	99/2	0.29
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	92	0.16
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	94	0.02
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	93/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	93/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	91/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	91/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	91/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	89	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	88/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	88/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	83/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	84/1	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	80/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	80/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	76/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	76/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	47	0.25
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	46	0.31
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	10/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	10/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	10/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	9/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	9/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	5/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	5/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	6	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	2/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	2/2	0.28
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	2/3	0.03
			योग	3.16

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5482 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	बनाहिल/10	223/1	0.23
			योग	**0.23**

जांजगीर, दिनांक 3 मई 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 972/वाचक/अ.वि.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसकें पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 5480 दिनांक 24-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1604/1	0.70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1681/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1681/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1682/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1682/5	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1683/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1683/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1683/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1689/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1690	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1692/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1692/4	0.17
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1692/5	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1692/6	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1713/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1713/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1713/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1715/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1710/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1710/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1710/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1711	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	2667/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	2667/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	2668/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	2669	0.15
			योग	**2.91**

शिवकुमार तिवारी,
सक्षम अधिकारी.